राजस्थान—सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 20 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0) कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री कपिल गर्ग पुत्र सोहन लाल गर्ग निवासी 3–एफ–39, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा
2. श्रीमती वर्षा गर्ग पत्नि कपिल गर्ग निवासी 3–एफ–39 चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री महेन्द्र सिंह चौहान।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0) कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 16,60,000/– रूपये का ऋण दिनांक 31.05.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **श्री कपिल गर्ग पुत्र सोहन लाल गर्ग का एक आवासीय मकान नंबर 26 नपती 20 गुणा 40 वर्गफीट का जो कि आराजी नंबर 575 ग्राम आटुण, आदर्श नगर भीलवाड़ा में अवस्थित है, का वसीयतनामा एवं आवासीय मकान का विक्रय विलेख जो क उपपंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा में दिनांक 26.12.2014 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 240 पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 201403026115108 पर पंजीबद्ध है, जिसके पड़ौस पूर्व–भूखण्ड संख्या 29, पश्चिम–सड़क 30 फीट, उत्तर–भूखण्ड संख्या 25, दक्षिण–भूखण्ड संख्या 27** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 25.11.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 16,95,611/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 06.11.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।